03 समेकित बाल विकास छत्र योजना

3.1 समेकित बाल विकास योजना

3.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

3.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

Scanned by CarbonScanner

समेकित बाल विकास छत्र योजना

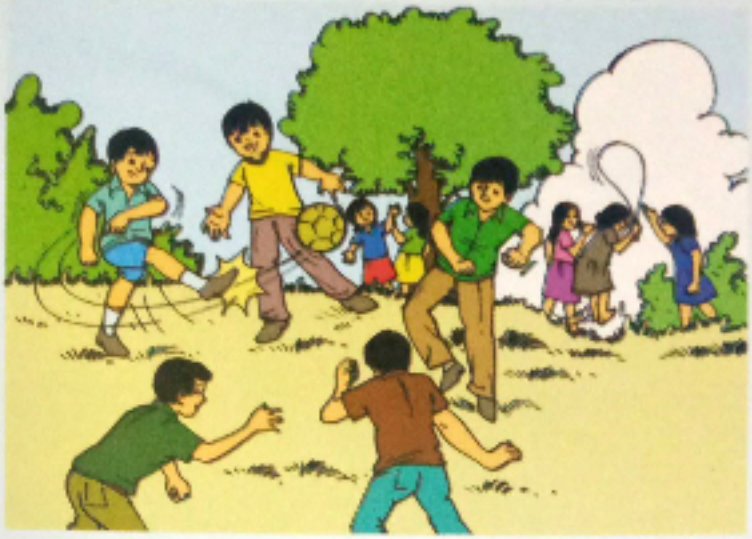

1. उद्देश्य

इस छत्र–योजना का उद्देश्य छः वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती, प्रसूति महिला तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना तथा उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य/पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना है। मृत्यु दर, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाने के साथ ही बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना तथा बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना है।

2. छत्र–योजना विवरणी

इस छत्र योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेंगी :

2.1 आँगनबाड़ी सेवाएँ

इस योजना अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ (सामान्य), पूरक पोषाहार, नेशनल क्रेश स्कीम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), अनुग्रह अनुदान एवं आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय समाहित होंगे।

2.2 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

इसके अन्तर्गत भारत सरकार के निदेश के आलोक में गर्भवती एवं प्रसूति महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी।

2.3 किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

इसके अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा।

Scanned by CarbonScanner

(घ) मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम के अन्तर्गत शत–प्रतिशत राज्य स्कीम की राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाती है। संबंधित पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एम.आई.एस. कार्य हेतु भुगतान किया जाता है।

(ङ) अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं अनुबंध पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका के सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में निर्धारित राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। उनके द्वारा राशि की निकासी कर निकटतम संबंधी को उपलब्ध करायी जाती है।

(च) आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका को राज्य भत्ता मानदेय का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय के साथ निदेशालय स्तर से DBT के माध्यम से सीधा आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के बैंक खातों में की जाती है।

(ii) **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा DBT के माध्यम से PFMS के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(iii) **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना**

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अन्तर्गत आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि बाल विकास परियोजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आवंटित की जाती है। आवंटित राशि की निकासी कर संबंधित पदाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र पर गठित आँगनबाड़ी विकास समिति के बैंक खाते में राशि भेजी जाती है, जिसकी निकासी कर किशोरी बालिकाओं को Take Home Ration आँगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है।

(iv) उपर्युक्त समेकित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता एवं सुगमता हेतु धनराशि के वितरण में आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई.सी.डी.एस. निदेशालय को भेजा जाता है। आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

(i) **आँगनबाड़ी विकास समिति :** इस छत्र योजना की सभी सेवाएँ (भवन निर्माण एवं एम.आई.एस. को छोड़कर) आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर से प्रदान की जाती है, जिसकी निगरानी आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित आँगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है।

(ii) **सामाजिक अंकेक्षण :** आँगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय–समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(iii) **पर्यवेक्षण/निरीक्षण :** इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 आँगनबाड़ी

Scanned by CarbonScanner

केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित हैं।

(iv) **सूचना तकनीक से अनुश्रवण :** आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT&RTM (Information Communication Technology & Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS&CAS' (Common Application Software) तथा "आँगन" ऐप के द्वारा भी आँगनबाड़ी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अन्दर समाधान प्राप्त की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई.सी.डी.एस. एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित / दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते हैं।

अधिसूचना संख्याः 03 / यो.–28 / 2017 / 5724

पटना, दिनांक : 27 / 11 / 2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

समेकित बाल विकास छत्र-योजना के अन्य तथ्य:

समेकित बाल विकास छत्र–योजना अन्तर्गत निम्न उपयोजनाएँ संचालित हैं:

1. समेकित बाल विकास योजना

इस योजना अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएँ (सामान्य), पूरक पोषाहार, आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना, मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.), अनुग्रह अनुदान एवं आँगनबाड़ी सेविका / सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय समाहित है।

1.1 **पूरक पोषाहार** : राज्य के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा योजना (मिशन मोड) अन्तर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य / कुपोषित / अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धातृ माताओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु पूरक पोषाहार कार्यक्रम में निम्न रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के आलोक में पोषाहार के मानकों का निर्धारण किया गया है :

लाभान्वितों का प्रकार	संशोधित दर	पोषाहार का मानक	
		कैलोरी (K cal)	प्रोटीन (gram)
बच्चे (6 माह से 72 माह)	रू. 8.00	500	15–12
अति कुपोषित बच्चे (6 माह से 72 माह)	रू. 12.00	800	25–20
गर्भवती एवं धातृ माताएँ	रू. 9.50	600	18–20

गर्म पका पूरक पोषाहार (Hot Cooked Meal) : 03 वर्ष से 06 वर्ष तक स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों को तीन दिन खिचड़ी, एक दिन पुलाव, एक दिन रसियाव एवं एक दिन सूजी का हलवा दिया जाता है। इस तरह महीने में कुल 25 दिन गर्म पका भोजन सभी जिलों के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर समान रूप से दिया जाता है। प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह के नास्ते में अंडे खाने वाले बच्चों को उबला अंडा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को अंकुरित चना एवं गुड़ दिया जाता है।

साप्ताहिक पोषाहार सूची		
दिन	व्यंजन	महीना का दिन
सोमवार	खिचड़ी	4
मंगलवार	रसियाव	4
बुधवार	खिचड़ी	4
बृहस्पतिवार	सूजी का हलवा	4
शुक्रवार	पुलाव	4
शनिवार	खिचड़ी	4
एक दिन और	खिचड़ी	1
	कुल दिन	25

Scanned by CarbonScanner

टेक होम राशन (Take Home Ration) : गर्भवती, प्रसूति एवं 06 माह से 03 वर्ष के सामान्य/कुपोषित/अति कुपोषित बच्चों को टी.एच.आर. के रूप में माह में एक बार 25 दिन के लिए सूखा राशन वितरित किया जाता है। गर्भवती, प्रसूति महिलाओं में अंडा खाने वाले को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को (माह में सात बार) सुबह में एक उबला अंडा आँगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जाता है। अंडा नहीं खाने वाली महिलाओं को पूर्ववत सोयाबड़ी खिलाया जाता है। 06 माह से 03 वर्ष तक के अंडा खाने वाले बच्चों को प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शुक्रवार को एक–एक उबला अंडा आँगनबाड़ी केन्द्र पर ही खिलाया जाता है। अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को पूर्ववत सोयाबड़ी खिलाया जाता है।

लाभार्थी	लाभार्थी वर्ग	चावल	दाल	अतिरिक्त पोषण
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	सामान्य रूप से कुपोषित बच्चे	2.50 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	1.25 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)
6 माह से 3 वर्ष के बच्चे	अतिकुपोषित बच्चे	3.75 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	1.75 कि.ग्रा. (प्रति बच्चा/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (सप्ताह में दो बार बुधवार–शुक्रवार को)
महिलाएँ	गर्भवती एवं प्रसूति	3.50 कि.ग्रा. (प्रति महिला/प्रति माह)	1.50 कि.ग्रा. (प्रति महिला/प्रति माह)	सोयाबड़ी (250 ग्राम/उबला अंडा (माह में सात बार बुधवार एवं शुक्रवार को)

सुबह का नाश्ता (Morning Snacks) : यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर बढ़ता है तो उसे Morning Snacks की राशि से वहन किया जाता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री में राशि बचत होती है तो उससे सुबह के नाश्ते में अंकुरित चना–गुड़, गुड़–चूड़ा आदि दिया जाता है।

टिप्पणी :

(1) 5 जिलों (गया, सारण, सीवान, गोपालगंज एवं वैशाली) के 25 परियोजनान्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 03–06 वर्ष के लाभार्थी को प्रत्येक बुधवार 18 ग्राम (150 ML गर्म पानी में घोलकर) प्रति बच्चा दूध उपलब्ध कराया जाता है, जिसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जा चुका है।

(2) तिरहुत प्रमण्डल के सभी 6 जिलों के 102 परियोजना अन्तर्गत Hot Cook Meal में Double Fortified Salt का उपयोग किया जा रहा है जो भविष्य में 2–3 चरणों में पूरे राज्य में विस्तारित किया जा सकता है।

1.2 **मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण**– भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से किया जा रहा है, जिसमें रू. 7 लाख के स्वीकृत प्राक्कलन में रू. 5 लाख मनरेगा योजना ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा एवं रू. 2 लाख आई.सी.डी.एस. से दी जाने वाली राशि में 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा व्यय किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 1,000–1,000 आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Scanned by CarbonScanner

वित्तीय वर्ष 2018–19 से मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण मद में आई.सी.डी.एस. द्वारा दी जाने वाली प्रति केन्द्र रू. 2 लाख के निर्धारित दर को परिवर्तित करते हुए प्रति केन्द्र रू. 1 लाख महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन उत्क्रमण – वित्तीय वर्ष 2018–19 से भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र भवन उत्क्रमण मद में प्रति केन्द्र रू. 1 लाख को बढ़ाकर रू. 2 लाख प्रति केन्द्र व्यय करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंश 60:40 के अनुपात में निर्धारित है।

1.3 **पोशाक योजना** :– आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना राज्य प्रायोजित योजना है। आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की अलग पहचान के साथ–साथ बच्चों में समरूपता एवं सामाजिक समरसता का भाव लाने के लिए सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03 वर्ष से 06 वर्ष तक प्रत्येक बच्चों को प्रति बच्चा रू. 400 वार्षिक लागत की दर से पोशाक उपलब्ध कराने हेतु नकद राशि भुगतान की जाती है।

1.4 **मैनेजमेन्ट इन्फॉरमेशन सिस्टम (एम.आई.एस.)** :– यह योजना राज्य प्रायोजित योजना है। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली सेवाओं के प्रभावकारी अनुश्रवण के लिए निदेशालय स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गयी है। साथ ही जिला/परियोजना स्तर पर डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है।

1.5 **अनुग्रह अनुदान** :– दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में राज्य अन्तर्गत कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु के स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को रू. 4 लाख अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता है।

1.6 **आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को राज्य भत्ता मानदेय** :– वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी सेविकाओं को रू. 4,500, मिनी आँगनबाड़ी सेविकाओं को रू. 3,500 एवं आँगनबाड़ी सहायिकाओं को रू. 2,250 निर्धारित जो 60:40 के समानुपात से दिया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.10.2018 के प्रभाव से आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविकाओं को रू. 1,150 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को रू. 900 तथा आँगनबाड़ी सहायिकाओं को रू. 575 मानदेय प्रतिमाह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।

2. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुये Wage Loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से Compensate करना है।

इस योजना के अंतर्गत नगद लाभ राशि का हस्तांतरण डी.बी.टी. द्वारा पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता में किया जाना है।

सभी गर्भवती/धातृ महिलाएँ, जो दिनांक 01.01.2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती है, को प्रथम जीवित संतान के लिए सशर्त नगद लाभ रू. 5,000 की राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जाना है।

प्रथम किस्त– एल.एम.पी. के 150 दिनों के अंदर गर्भावस्था का पंजीकरण (Early Registration of Pregnancy) के बाद रू. 1,000।

द्वितीय किस्त– गर्भावस्था के छः माह पूरा होने पर कम से कम एक बार antenatal check-up के बाद रू. 2,000।

Scanned by CarbonScanner

तृतीय किस्त– नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं बच्चे का टीकाकरण (BCG, OPV, DPT, Hepatitis 'B' का प्रथम चक्र) के बाद रू. 2,000।

संस्थागत प्रसव होने पर अन्य शर्तें पूरा करने वाली लाभार्थी को वर्तमान में संचालित जननी सुरक्षा योजना (JSY) शेष प्रोत्साहन राशि देय होगी जिससे उसे मातृत्व लाभ के रूप में औसत रू. 6,000 प्राप्त हो जाय।

लाभुक के गर्भावस्था एवं Stage का निर्धारण उसके MCP कार्ड में अंकित LMP के आधार पर किया जायेगा।

ऐसी गर्भवती/धात्री महिला जो अन्य योजना/सरकारी प्रावधानों के अनुसार मातृत्व लाभ ले चुकी है एवं ऐसी महिला जो केन्द्र/राज्य सरकार की नियमित सेवक है तथा जो पी.एस.यू. सेवक है, उनको इस योजना का लाभ देय नहीं होगा।

योजना की अन्य शर्तें पूरा करने वाली गर्भवती/धात्री आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

सभी योग्य लाभुकों को इस योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाना है।

यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ का प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद Miscarriage होता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्तें पूरा करने पर उसे द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान किया जा सकता है।

यदि किसी गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभ की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद Miscarriage/Still Birth होता है, तो भविष्य में गर्भवती होने एवं अन्य शर्तें पूरी करने पर उसे तृतीय किस्त का भुगतान किया जा सकता है।

यदि किसी गर्भवती/धात्री महिला को इस योजना के अंतर्गत सभी तीन किस्त के लाभ की राशि प्राप्त करने के बाद उसके शिशु की मृत्यु (Infant Mortality) होती है, तो भविष्य में गर्भवती होने पर इस योजना के अंतर्गत उक्त महिला को कोई लाभ देय नहीं होगा।

दिनांक 01.01.2017 या उसके बाद की तिथि से गर्भवती महिला को यदि पूर्व में मातृत्व लाभ योजना से प्रथम किस्त के रूप में रू. 3,000 का भुगतान किया जा चुका है तो PMMVY के अंतर्गत उक्त महिला को तीसरी किस्त रू. 2,000 तथा संस्थागत प्रसव होने एवं अन्य शर्तें पूरी होने पर पूर्व से संचालित जननी सुरक्षा योजना से प्रोत्साहन राशि देय होगी।

लाभार्थी का पंजीकरण एवं लाभ की राशि का दावा

सभी इच्छुक एवं योग्य लाभार्थियों का आँगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण एवं प्रथम किस्त का दावा हेतु मोबाईल सं., आधार सं., बैंक खाता आदि विवरणी के साथ लाभार्थी एवं लाभार्थी के पति द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रपत्र–I 'A' भरकर अपने पोषक क्षेत्र के आँगनबाड़ी केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। द्वितीय एवं तृतीय किस्त हेतु योग्य लाभुक का Form 1-B, 1-C सेविका अपने स्तर से भर कर दे सकती है।

उपर्युक्त विहित प्रपत्र–I 'A' की प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र अथवा आई.सी.डी.एस. बिहार के वेबसाईट से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। भरे हुये प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाय:

i. MCP Card

ii. लाभार्थी एवं उसके पति का आधार कार्ड या आधार पंजीकरण नहीं होने पर पंजीकरण के अवधि तक के लिए अन्य कोई प्राधिकृत पहचान–पत्र।

iii. लाभुक का बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता विवरणी।

Scanned by CarbonScanner

लाभार्थी का आधार कार्ड एवं पोस्ट ऑफिस/बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में सेविका/आशा/ ए.एन.एम. उनका खाता खुलवाने एवं आधार कार्ड बनवाने में सहयोग करेंगे।

अन्य शर्तें पूरी होने पर द्वितीय किस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र –।'B' एवं तृतीय किस्त के लिए संलग्न विहित प्रपत्र।'C' लाभुक द्वारा पूर्ण रूप से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाय।

भारत सरकार के पत्र सं. 13.07.2017–MBP, दिनांक 09.08.2017 द्वारा मातृत्व लाभ योजना (MBP) को ही नवनामित किया गया है, को दिनांक 01.01.2017 से बिहार के सभी जिलों में लागू करने, राज्य स्तर एवं 38 जिला स्तर पर सेल का गठन करने (जिसमें पद अनुबंध आधारित होगा) का निदेश है।

3. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना– (SAG)

किशोरियों के सर्वांगीण विकास, कुपोषण की पीढ़ीगत कुचक्र को तोड़ने एवं जीवन चक्र की रणनीति को स्वस्थ्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना 'सबला' बिहार राज्य में वर्ष 2011 से 12 जिलों में लागू है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में इसका नाम बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना– SAG कर दिया गया एवं इसे केवल 11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू किया गया है।

योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों को सहयोग प्रदान कर स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर और जागरूक बन सके। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है :–

- किशोरियों को आत्मविकास एवं सशक्त बनाने में सहयोग करना।
- पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण शिक्षा के द्वारा उन्हें जागरूक बनाना।
- विद्यालय से बाहर के किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना अथवा वैकल्पिक शिक्षा/कौशल विकसित करना।
- इनकी गृह आधारित कौशल और जीवन कौशल का विकास करना।
- उपलब्ध लोक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि से संबंधित जानकारी/मार्गदर्शन देना।

इस योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.एस.) की आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से किया जाना है। इसके अन्तर्गत लाभुकों (11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिका) को पोषण एवं गैर पोषण मद अन्तर्गत निम्न सेवाएँ प्रदान की जाती है:

पोषण मद :– पोषण मद अन्तर्गत 11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को टी.एच.आर. के रूप में चावल, अण्डा एवं सोयाबड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु रू. 9.50 प्रति दिन प्रति लाभार्थी की दर से 600 कैलोरी एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन युक्त पोषक सामग्री माह में 25 दिनों के लिए दी जाती है।

गैर पोषण मद :– आयरन फोलिक एसिड, संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच और रेफरल सेवाएँ, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, विद्यालय से बाहर की किशोरियों को औपचारिक शिक्षा तंत्र में पुनः वापस लाना या वैकल्पिक शिक्षा/कौशल विकसित करते हुए मुख्यधारा में लाना, जीवन कौशल शिक्षा, गृह प्रबंधन, लोक सेवाओं को प्राप्त करने का परामर्श/मार्गदर्शन।

Scanned by CarbonScanner